भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2098

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएफएचएस-6 में कुछ संकेतकों को शामिल नहीं करना

†2098. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मई, 2026 में जारी एनएफएचएस-6 तथ्य पत्र में रक्ताल्पता की व्यापकता, शिशु मृत्यु दर और जन्म के समय लिंगानुपात सहित कुछ संकेतकों को शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे संकेतकों को शामिल न करने के प्रभाव का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों के नियोजन, निगरानी और कार्यान्वयन के संबंध में आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक एकीकृत सर्वेक्षण आयोजित करता है जिसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) कहा जाता है। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा संबंधित क्षेत्रों जैसे जनसंख्या की विशेषताएँ; प्रजनन और प्रजनन प्राथमिकताएँ; परिवार नियोजन; मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य; पोषण; रोगग्रस्तता और स्वास्थ्य देखभाल; महिलाओं का सशक्तिकरण आदि पर डेटा प्रदान करता है। एनएफएचएस के छठे दौर (2023-24) के राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथ्य पत्रक दिनांक 29.05.2026 को जारी किए गए।

एनएफएचएस-6 के राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथ्य-पत्रकों में शामिल किए जाने वाले संकेतकों को, एनएफएचएस-6 के लिए गठित तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की सिफारिशों पर अंतिम रूप दिया गया, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों, जिनमें पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), महिला एवं

बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, नीति आयोग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि होते हैं।

टीएसी ने भारत सरकार की डेटा समन्वय पहलों के अनुरूप तथ्य पत्रकों के लिए संकेतकों की सूची को अंतिम रूप देने की सिफारिश की, ताकि विभिन्न आधिकारिक डेटा स्रोतों में उपलब्ध खंडित और असमन्वित डेटा से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों से बचा जा सके। टीएसी ने आगे यह भी सुझाव दिया कि तथ्य पत्रकों का उद्देश्य केवल प्रमुख संकेतकों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित, को प्रस्तुत करना है ताकि सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों को बेहतर ढंग से उजागर किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उचित विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि रक्ताल्पता के प्रसार के आंकड़े भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा स्वर्ण मानक अंतःशिरा विधि से हेमोग्लोबिन परीक्षण के लिए किए गए स्वतंत्र सर्वेक्षण से प्राप्त किए जाएँ।

भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) का वार्षिक अनुमान प्रदान करती है। एसआरएस डेटा का उपयोग आईएमआर और एसआरबी जैसे मुत्यु दर/महत्वपूर्ण संकेतकों की वार्षिक निगरानी के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, भारत सरकार मातृ, शिशु और पोषण स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं की योजना, निगरानी और कार्यान्वयन का आकलन आवधिक क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित करके, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय दौरे करके तथा विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से करती है।
